"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 मई 2018—वैशाख 21, शक 1940

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2018

क्रमांक ई 1-01/2018/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती ऋचा शर्मा, भा.प्र.से. (1994), प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश क्रमांक 33/03/2018-EO (SM-I), दिनांक 07 मार्च, 2018 के अनुक्रम में श्री विकास शील, भा.प्र.से. (1994), प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की सेवायें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिये भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर नियुक्ति हेतु तत्काल प्रभाव से सौंपी जाती है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

3. श्री गौरव द्विवेदी, भा.प्र.से. (1995), महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए अध्यक्ष छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री गौरव द्विवेदी, भा.प्र.से. (1995) द्वारा सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री हेमंत कुमार पहारे, भा.प्र.से. (2002), सचिव, संसदीय कार्य एवं अतिरिक्त प्रभार जनशिकायत निवारण विभाग तथा सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग केवल सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

4. डॉ. एम. गीता, भा.प्र.से. (1997), सचिव, छ.ग. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार आयुक्त-सह-संचालक, महिला एवं बाल विकास को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

नया रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2018

क्रमांक ई 1-01/2018/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. भारतीदासन, भा.प्र.से. (2006), कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री नीलम नामदेव एक्का, भा.प्र.से. (2006), कलेक्टर, जिला-मुंगेली को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग के पद पर पदस्थ करता है.

श्री नीलम नामदेव एक्का, भा.प्र.से. द्वारा अपर आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. श्री जनक प्रसाद पाठक, भा.प्र.से. (2007), पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा अतिरिक्त प्रभार महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक को कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के पद पर पदस्थ करता है.

4. श्री राजेश सिंह राणा, भा.प्र.से. (2008), कलेक्टर जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा को संचालक, महिला एवं बाल विकास के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, छ.ग. प्रशासन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री राजेश सिंह राणा, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, महिला एवं बाल विकास का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से डॉ. एम. गीता, भा.प्र.से. (1997), सचिव, महिला एवं बाल विकास तथा अतिरिक्त प्रभार आयुक्त-सह-संचालक, महिला एवं बाल विकास एवं महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी केवल आयुक्त-सह-संचालक, महिला एवं बाल विकास के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी. शेष प्रभार यथावत रहेगा.

5. श्री नीरज कुमार बंसोड़, भा.प्र.से. (2008), कलेक्टर, जिला-कबीरधाम को कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा के पद पदस्थ करता है.

6. श्री महादेव कावरे, भा.प्र.से. (2008), महाप्रबंधक, नया रायपुर विकास प्राधिकरण तथा अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण को कलेक्टर, जिला-बेमेतरा के पद पर पदस्थ करता है.

7. श्री हीरालाल नायक, भा.प्र.से. (2008), अपर कलेक्टर, जिला-बस्तर तथा अतिरिक्त प्रभार कुल सचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर को कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के पद पर पदस्थ करता है.

8. श्री अवनीश कुमार शरण, भा.प्र.से. (2009), कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज को कलेक्टर, जिला-कबीरधाम के पद पर पदस्थ करता है.

9. श्री सुनील कुमार जैन, भा.प्र.से. (2009), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर को पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के पद पर पदस्थ करता है.

10. श्री डोमन सिंह, भा.प्र.से. (2009), संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को कलेक्टर, जिला-मुंगेली के पद पर पदस्थ करता है.

11. श्री के. डी. कुंजाम, भा.प्र.से. (2009), अपर कलेक्टर, जिला-बिलासपुर तथा अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीपत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सीपत को संचालक, ग्रामोद्योग के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री के. डी. कुंजाम, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, ग्रामोद्योग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री हेमंत कुमार पहारे, भा.प्र.से. (2002), सचिव संसदीय कार्य विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, जनशिकायत निवारण विभाग, सचिव, ग्रामोद्योग विभाग, संचा., ग्रामोद्योग, प्रबंध संचा., छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विप. सह. संघ मर्या., केवल संचालक, ग्रामोद्योग तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

श्री के. डी. कुंजाम, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, ग्रामोद्योग का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से संचालक, ग्रामोद्योग के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

12. श्री कार्तिकेय गोयल, भा.प्र.से. (2010), कलेक्टर, जिला-बेमेतरा को महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, संस्थागत वित्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री कार्तिकेय गोयल, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, संस्थागत वित्त का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से डॉ. कमलप्रीत सिंह, भा.प्र.से. (2002) सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, वित्त विभाग तथा संचालक, संस्थागत वित्त केवल संचालक, संस्थागत वित्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

श्री कार्तिकेय गोयल, भा.प्र.से. द्वारा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

13. श्री पदुम सिंह एल्मा, भा.प्र.से. (2010), अपर कलेक्टर, जिला-रायपुर को अपर आयुक्त, श्रम के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने हेतु उनकी सेवायें श्रम विभाग को सौंपता है.

श्री पदुम सिंह, भा.प्र.से. द्वारा अपर आयुक्त, श्रम का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर आयुक्त, श्रम के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

14. श्री रमेश शर्मा, भा.प्र.से. (2010), संचालक, भू-अभिलेख तथा अतिरिक्त प्रभार उप सचिव, राजस्व, संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री को उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय पदस्थ करते हुए संचालक, भू-अभिलेख का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

15. श्री रितेश कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. (2012), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी पदस्थ करता है.

16. श्री गौरव कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग पदस्थ करता है.

17. श्री प्रभात मलिक, भा.प्र.से. (2015), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मानपुर-मोहला, जिला-राजनांदगांव को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर पदस्थ करता है.

18. श्री आलोक कटियार, भा.व.से. (1993), प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण के पद पर पदस्थ करता है.

19. श्री आलोक अवस्थी, भा.प्र.से. (2002), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04-04-2018 में संशोधन करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

श्री आलोक अवस्थी, भा.प्र.से. द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रबंधन संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

20. श्रीमती जयश्री जैन, रा.प्र.से. (2005), उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, मुख्य सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2017

क्रमांक 1816/एफ-21/13/तेरह-2/2014.—छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2020/एफ 21/13/09/13/2/ऊ.वि. दिनांक 29-10-2010 से विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के पुनर्गठन उपरांत गठित उत्तरवर्ती चार विद्युत कंपनियों यथा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मर्यादित तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी मर्यादित, रायपुर के लिए प्रारंभिक तुलनपत्र (Opening Balance Sheet) अधिसूचित की गई है.

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी द्वारा तत्कालीन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल हेतु दिनांक 31-12-2008 की स्थिति में ऑडिट उपरांत ओपनिंग बैलेन्सशीट उपलब्ध करायी गई है. यत: राज्य शासन की यह राय है कि उक्त आडिटेड ओपनिंग बैलेन्सशीट के आधार पर उपरोक्त वर्णित कंपनियों के लिए अंतिम प्रारंभिक तुलनपत्र (Final Opening Balance Sheet) अधिसूचित किया जाना आवश्यक एवं समीचीन है.

अतएव, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अंतरण योजना नियम 2010 के खण्ड-(7) के उपखण्ड-(ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व में जारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2020/एफ 21/13/09/13/2/ऊ.वि. दिनांक 29-10-2010 को अतिक्रमित करते हुए, पैरा-1 में वर्णित कंपनियों के लिए, परिशिष्ट-एक में दर्शाये अनुसार अंतिम प्रारंभिक तुलनपत्र (Final Opening Balance Sheet) अधिसूचित करती है.

यह अधिसूचना तत्काल प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. रत्नम, विशेष सचिव.

परिशिष्ट—एक

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अंतरण योजना नियम 2010 के अनुसार गठित उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों हेतु दिनांक 01.01.2009 की स्थिति में अंतिम प्रारंभिक तुलनपत्र (फाईनल ओपनिंग बैलेन्सशीट)

(रू. करोड़ में)

क्र.	विवरण	दिनांक 31.12.2008 की स्थिति में छ0 रा0 विद्युत मण्डल का अंकेक्षित तुलनपत्र	समायोजन	छ0 रा0 विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड	छ0 रा0 विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड	छ0 रा0 विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	छ0 रा0 विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड
अ	**आस्तियां**						
1	स्थिर आस्तियां	6,252.97	4.73	3,614.93	884.21	1,749.23	9.33
2	घटायें: अवक्षयण	1,798.46	-	914.73	236.41	646.74	0.58
3	शुद्ध स्थिर आस्तियां	4,454.51	4.73	2,700.20	647.80	1,102.49	8.75
4	प्रगति में पूंजीगत कार्य	2,020.05	(117.83)	560.07	660.99	681.16	-
5	आमूर्त एवं अन्य आस्तियां	8.87	-	8.87	-	-	-
6	सहायक कंपनियों में विनिधान	-	-	-	-	-	3,760.27
7	विनिधान	272.69	393.71	74.08	15.97	84.42	491.93
8	स्टाक	219.91	1.51	178.88	8.54	29.24	4.76
9	विद्युत प्रदाय के संबंध में प्राप्तियां	1,151.02	-	-	-	1,151.02	-
10	नगदी एवं बैंक	(67.85)	-	4.99	0.19	23.11	(96.14)
11	अंतर कंपनी प्राप्तियां/देय	-	-	(38.28)	(10.56)	(47.23)	96.07
12	उधार और अग्रिम	1,050.63	-	503.12	134.44	411.11	1.96
13	अन्यान्य प्राप्तियां	216.39	53.25	(12.24)	1.37	63.49	217.02
14	उपभोक्ताओं से प्रतिभूति निक्षेप	(472.89)	-	-	-	(472.89)	-
15	अन्य चालू दायित्व	(2,196.82)	157.89	(729.18)	(262.77)	(1,038.26)	(8.72)
16	सरकार से प्राप्य सहायिकी	669.01	(253.68)	133.31	41.54	240.48	-
	कुल आस्तियां (3 से 16)	**7,325.52**	**239.58**	**3,383.82**	**1,237.51**	**2,228.14**	**4,475.90**
ब	**दायित्व**						
1	राज्य सरकार से कुल निधियां अ उधार	740.78	(136.78)	296.62	92.44	214.94	-
	ब अंशपूंजी	23.12	(23.12)				
2	अभिदाय, अनुदान और सहायिकी	1,345.75	(1,241.96)	-	103.79	-	-
3	आरक्षित और आरक्षित निधियां	178.47	(178.47)	-	-	-	-
4	अधिशेष + अंशपूंजी समायोजन	2,914.97	1,560.92	1,230.26	749.05	1,780.96	715.62
5	उप–योग: अंशपूंजी	3,116.56	1,359.33	1,230.26	749.05	1,780.96	4,475.90
6	पूंजी दायित्वों पर शोध्य संदाय	504.29	(117.25)	181.02	56.43	149.58	-
7	पूंजी दायित्व	1,618.14	376.24	1,675.92	235.80	82.66	-
	कुल दायित्व (1अ+2+5+6+7)	**7,325.52**	**239.58**	**3,383.82**	**1,237.51**	**2,228.14**	**4,475.90**

Naya Raipur, the 17th July 2017

No. 1816/F-21/13/13-2/2014.—Government of Chhattisgarh vide its notification No. 2020/F 21/13/09/13/2/ED dated 29-10-2010 had notified opening balance sheet for the four successor power companies i.e. Chhattisgarh State Power Generation Company limited Raipur, Chhattisgarh State Power Transmission Company limited Raipur, Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited Raipur and Chhattisgarh State Power Holding Company Limited Raipur established after the restructuring of Chhattisgarh State Electricity Board as per the provisions of Electricity Act, 2003.

Chhattisgarh Stae Power Holding Company Limited has provided balance sheet after audit of erstwhile Chhattisgarh State Electricity Board as on 31-12-2008. Hence, State Government is of the opinion that based on the said audited balance sheet it is necessary to notify final opening balance sheet of the above four companies.

Therefore, in exercis of the powers conferred by sub-clause (j) of clause (7) of Chhattisgarh State Electricity Board Transfer Rules, 2010, and in supersession of previous notification No. 2020/F-21/13/09/13/2/ED dated 29-10-2010, State Government, hereby notifies final opening balance sheet as indicated in Annexure-I, for companies specified in Para-1.

This notification shall be immediately effective.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. S. RATNAM, Special Secretary.

Annexure – I

Opening Balance Sheet as on 01.01.2009 of successor Power Companies established as per provisions of Chhattisgarh State Electricity Board Transfer Scheme Rules 2010

Rs. In Crores

Sl. No.	Particulars	Final Opening Balance of Successor Companies as on 01.01.2009					
		Consolidated Balance Sheet of erstwhile CSEB as on 31.12.2008	Adjust-ment	CSPGCL	CSPTCL	CSPDCL	CSPHCL
A	**ASSETS**						
1	Fixed Assets	6,252.97	4.73	3,614.93	884.21	1,749.23	9.33
2	Less: Depreciation	1,798.46	-	914.73	236.41	646.74	0.58
3	Net Assets (1-2)	4,454.51	4.73	2,700.20	647.80	1,102.49	8.75
4	CWIP	2,020.05	(117.83)	560.07	660.99	681.16	-
5	Intangible and other Assets	8.87	-	8.87	-	-	-
6	Investment in subsidiary company	-	-	-	-	-	3,760.27
7	Investment	272.69	393.71	74.08	15.97	84.42	491.93
8	Stock	219.91	1.51	178.88	8.54	29.24	4.76
9	Receivable against supply of power	1,151.02	-	-	-	1,151.02	-
10	Cash & Bank	(67.85)	-	4.99	0.19	23.11	(96.14)
11	Inter Company Receivable/Payable	-	-	(38.28)	(10.56)	(47.23)	96.07
12	Loans & Advance	1,050.63	-	503.12	134.44	411.11	1.96
13	Sundry Receivable	216.39	53.25	(12.24)	1.37	63.49	217.02
14	Security Deposits from Consumers.	(472.89)	-	-	-	(472.89)	-
15	Other Current Liabilities	(2,196.82)	157.89	(729.18)	(262.77)	(1,038.26)	(8.72)
16	Subsidy Receivable from Government	669.01	(253.68)	133.31	41.54	240.48	-
	Total Assets (3-16)	**7,325.52**	**239.58**	**3,383.82**	**1,237.51**	**2,228.14**	**4,475.90**

B	LIABILITIES						
1	Funds from State Govt.– a. Loan	740.78	(136.78)	296.62	92.44	214.94	-
	b. Equity	23.12	(23.12)				
2	Contributions, Grants and Subsidies Towards Cost	1,345.75	(1,241.96)	-	103.79	-	-
3	Reserve & Reserve Funds	178.47	(178.47)	-	-	-	-
4	Surplus	2,914.97	1,560.92	1,230.26	749.05	1,780.96	715.62
5	Total Shareholder Equity (1b+3+4)	3,116.56	1,359.33	1,230.26	749.05	1,780.96	4,475.90
6	Payments Due on Capital Liabilities	504.29	(117.25)	181.02	56.43	149.58	-
7	Capital Liabilities	1,618.14	376.24	1,675.92	235.80	82.66	-
	Total Liabilities (1a+2+5+6+7)	**7,325.52**	**239.58**	**3,383.82**	**1,237.51**	**2,228.14**	**4,475.90**

( ) Entries indicates negative.

नया रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2018

क्रमांक 1145/आर-66/2016/13/2.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियमों की कंडिका-77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन एतद्द्वरा श्री के. आर. सी. मूर्ति, रीजनल एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (साऊथ) एन.टी.पी.सी. लिमिटेड को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष तक अथवा आगामी आदेश पर्यन्त डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर के पद पर नियुक्त करता है.

2. श्री के. आर. सी. मूर्ति उपरोक्त कंपनी के डायरेक्टर को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 03 वर्ष तक अथवा आगामी आदेश पर्यन्त अंतर्नियम की कंडिका-78 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर के पद पर नियुक्त करता है.

3. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद कुमार भार्गव, अवर सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2018

क्रमांक एफ-19-06/2016/25-2.—श्री विकास मरकाम, सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग को राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 3 की उप-धारा 2 (क) के तहत उपाध्यक्ष पदनामित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, संयुक्त सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2018

क्रमांक एफ 1-11/2010/मबावि/50.—बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्र. 4 सन् 2006) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-11/2010/मबावि/50, दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा गठित चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर तथा इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-11/2010/मबावि/50, नया रायपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2018 के अनुसरण में राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के अनुसार अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य के रूप में निम्नलिखित की नियुक्ति करती है, जो 27 जनवरी 2018 से प्राभावी होगी, अर्थात् :—

स. क्र. (1)	नाम (2)	अध्यक्ष/सदस्य (3)
1.	श्रीमती प्रभा दुबे, रायपुर	अध्यक्ष
2.	श्री अंकित ओझा, दुर्ग	सदस्य
3.	श्री अरविन्द कुमार जैन, कांकेर	सदस्य
4.	श्री दिलीप कुमार कौशिक, बिलासपुर	सदस्य
5.	श्रीमती इंदिरा जैन, रायपुर	सदस्य
6.	श्रीमती मीनाक्षी तोमर, दुर्ग	सदस्य
7.	सुश्री टी. आर. श्यामा, रायगढ़	सदस्य

उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अनुसार, अध्यक्ष और सदस्य, उस तारीख से, जिसको, वे अपना पदभार ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे. धारा 20 के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं. अध्यक्ष/सदस्य, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 तथा छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के प्रकाश में अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों का निर्वहन करेंगे.

No. F 1-11/2010/wcd/50.—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the commissions for Protection of, child Rights Act, 2005 (No. 4 2006), on the recommendations made by the Selection committee constituted vide this Department's Order No. F 1-11-2010/WCD/50, dated 31st March 2017, and in pursuance of this department's Order No. F 1-11/2010/WCD/50, Naya Raipur, dated 27th January, 2018, the State Government, hereby, appoints the following as the chairperson and other members in accordance with sub-section (2) of Section 17 of the said Act with effect from 27th January, 2018 namely :—

S. No. (1)	Name (2)	Chairperson/Member (3)
1.	Smt. Prabha Dubey, Raipur	Chairperson
2.	Shri Ankit ojha, Durg	Member
3.	Shri Arvind Kumar Jain, Kanker	Member
4.	Shri Dilip Kumar Kaushik, Bilaspur	Member
5.	Smt. Indra Jain, Raipur	Member
6.	Smt. Meenakshi Tomar, Durg	Member
7.	Miss T.R. Shyama, Raigarh	Member

As per sub-section (1) of Section 19 of the Said Act the Chairperson and Member shall hold office as Such for a term of three years from the date on which he/she assumes office. As per Section 20 the salaries and allowances

payable to and other terms and conditions of service of the Chairperson and Members shall be such as may be prescribed by the State Government. The Chairperson/member shall perform their duties and responsibilities in the light of the provisions mentioned in the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 and Chhattisgarh for Protection of Child Rights Rules, 2009.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छुरिया उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला- राजनांदगांव, वन मंडल- राजनांदगांव, तहसील-छुरिया, वन परिक्षेत्र - बाघनदी

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नं. एवं राजस्व ग्राम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नं.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	कल्लू बंजारी	प.ह.नं. 25 एवं कल्लू बंजारी	02 03	4.733 0.840	**उत्तर :-**	राजस्व भूमि की सीमा रेखा, अस्थायी मुनारा क्र. 01 से 04 एवं 12, 13.
			04	5.367	**पूर्व :-**	छुरिया से कल्लू बंजारी मार्ग, अस्थायी मुनारा क्र. 05, 06, 07.
					दक्षिण :-	राजस्व भूमि की सीमा रेखा, अस्थायी मुनारा क्र. 08, 09, 10.
					पश्चिम :-	राजस्व भूमि की सीमा रेखा, अस्थायी मुनारा क्र. 11, 12.
		कुल योग	**03**	**10.94**		

No. F 7-8/2013/10-2 (Part).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned

below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Chhuria Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter-II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District — Rajnandgaon, Forest Division — Rajnandgaon, Tehsil — Chhuria, Forest Range — Baghnadi

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka No. and Revenue Village where Block situated	Khasra No.	Area in Hectare	Situation/Limit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Kallu Banjari	P. H. No. 25 and Kallu Banjari	02 03 04	4.733 0.840 5.367	**North :—**	Boundary Line of Revenue Land, Temporary Pillar No. 01 to 04 and 12, 13.
					East :—	Chhuria to Kallu Banjari Road, Road, Temporary Pillar No. 05, 06, 07.
					South :—	Boundary Line of Revenue Land, Temporary Pillar No. 08, 09, 10.
					West :—	Boundary Line of Revenue Land, Temporary Pillar No. 11, 12.
		G. Total	**03**	**10.94**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2018

क्रमांक एफ 7-06/2011/32 पार्ट-2.—जिला सरगुजा के अंतर्गत रघुनाथपुर निवेश क्षेत्र की सीमाओं में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करने संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13-2-2018, में अंकित "रघुनाथपुर निवेश क्षेत्र" के स्थान पर "रघुनाथपुर निवेश क्षेत्र" पढ़ा जाये.

नया रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2018

क्रमांक एफ 7-36/2017/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, आयुक्त सह संचालक, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत् प्रस्तुत खरसिया विकास योजना (प्रारूप) 2031 का अनुमोदन करती है. खरसिया विकास योजना, (प्रारूप) 2031 उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है.

2. खरसिया विकास योजना (प्रारूप) 2031 की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी :—

1. उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, खरसिया (छ.ग.)

3. कलेक्टर, रायगढ़ (छ.ग.)

3. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राजपत्र में उक्त सूचना के प्रकाशन के दिनांक से खरसिया विकास योजना (प्रारूप) 2031 प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2018

क्रमांक एफ 7-36/2017/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में खरसिया विकास योजना (प्रारूप) 2031 इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 22-03-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 22nd March 2018

No. F 7-36/2017/32.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, the State Government hereby accord approval to the Kharsia Development Plan (Droft) 2031 submitted by Commissioner cum Directorate under sub section (3) of section 18 of said Adhiniyam. Khairagarh Development Plan (Droft) 2031 is being published in "Chhattisgarh Rajpatra" for as required by sub-section (4) of section 19 of the said Adhiniyam.

2. The copy of the approved Kharsia Development Plan (Droft) 2031 shall be available during office hours for inspection in the following offices :—

1. Diputy Director, Town & Country Planning Regional Office Raigarh (C.G.)

2. Chief Municipal Officer, Municipality Parishad, Kharsia (C.G.)

3. Collector, Raigarh (C.G.)

3. The Kharsia Development Plan (Droft) 2031 shall come into operation from the date of publication of the said notice in Chhattisgarh Rajpatra as per the provision of sub-section (5) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order in the name of Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Addl. Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2018

क्रमांक एफ 7-4/2018/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए जेठा निवेश क्षेत्र जिला जांजगीर-चांपा का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :—

अनुसूची

जेठा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम सरवानी ब, सकरेली ब, भुरसीडीह, खुंटादरहा, पासीद एवं नंदौरकला ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम नंदौरकला, भद्रीपाली, पोरथा, साजाडेरा एवं परसदाकलॉ ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम परसदाकलॉ, लवसरा, बेलहाडीह एवं डेरागढ़ ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम डेरागढ़, रानीगांव, सकरेली ब एवं सरवानी ब ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 20-12/2018/11/6.—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है एवं लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है.

राज्य में स्टार्टअप हेतु Intellectual Property (IP) एवं पेटेंट संबंधी ज्ञान महत्वपूर्ण है.

अतः Intellectual Property Rights (IPR) एवं पेटेंट से संबंधित आवेदन की प्रक्रिया व अन्य जानकारियों से उद्यमियों को अवगत कराने तथा आवश्यकतानुसार उनकी मदद करने हेतु राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार Intellectual Property Rights & Patent Support Centre घोषित करता है :—

1. उद्योग संचालनालय छ.ग. उद्योग भवन, रायपुर
2. छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., रायपुर
3. छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, रायपुर
4. वाष्पयंत्र निरीक्षकालय, उद्योग भवन, रायपुर
5. राज्य के समस्त जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

2. उपरोक्त कार्यालय अपने वर्तमान कार्यों के साथ-साथ Intellectual Property Rights & Patent Support Centre के कार्यों का निर्वहन करेंगे.

3. उपरोक्त केन्द्रों का कार्य CIPAM, DIPP की वेबसाईट http://cipam.gov.in/know-your-ip-offices/ में उपलब्ध मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार उद्यमियों को Intellectual Property Rights (IPR) एवं पेटेंट से संबंधित कार्यों के लिये मार्गदर्शन प्रदान करना तथा आवश्यकतानुसार अन्य सहयोग देना होगा.

4. केन्द्रों के संपर्क पते परिशिष्ट-01 अनुसार है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

परिशिष्ट–01

Intellectual Property (IP) एवं Intellectual Property support Centre की सूची

क्र.	केन्द्रों के नाम	दूरभाष नंबर	ई–मेल आईडी
1.	उद्योग संचालनालय छ0ग0, उद्योग भवन, रायपुर	0771-2583652-54	dtic-directorate.cg@gov.in
2.	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डवेलपमेंट कार्पोरेशन लि0, उद्योग भवन, रायपुर	0771-6002071-73	csidc.cg@gov.in
3.	छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विधानसभा रोड, सड्डू, रायपुर	0771-2972940	dgccost@gmail.com
4.	वाष्पयंत्र निरीक्षकालय, उद्योग भवन, रायपुर	0771-2227798	boilers.cg@nic.in
5.	मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर	0771-2426450/ 2427658	dtic-raipur.cg@gov.in
6.	मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग	0788-2323640/2323418	dtic-durg.cg@gov.in
7.	मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बिलासपुर	07752-250083/ 250082	dtic-bilaspur.cg@gov.in
8.	मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़	07762-222914/2253340	dtic-raigarh.cg@gov.in
9.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, महासमुन्द	07723-223373	dtic-mahasamund.cg@gov.in
10.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धमतरी	07722-232966	dtic-dhamtari.cg@gov.in
11.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, राजनांदगांव	07744-224134	dtic-rajnandgaon.cg@gov.in
12.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कबीरधाम	07741-233174	dtic-kabirdham.cg@gov.in
13.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जगदलपुर, जिला–बस्तर	07782-205399/ 228157	dtic-jagadalpur.cg@gov.in
14.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, द0ब0 दंतेवाड़ा	07856-252923	dtic-dantewada.cg@gov.in
15.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, उ0ब0 कांकेर	07868-241060/ 241064	dtic-kanker.cg@gov.in
16.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जांजगीर–चांपा	07819-244201	dtic-janjgir.cg@gov.in
17.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोरबा	07759-225643	dtic-korba.cg@gov.in
18.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जशपुर	9425262623	dtic-jashpur.cg@gov.in
19.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा	07774-222704/ 236106	dtic-surguja.cg@gov.in
20.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया	07771-242725	dtic-koriya.cg@gov.in
21.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बीजापुर	07853-220362	dtic-bijapur.cg@gov.in
22.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नारायणपुर	07781-252341	dtic-narayanpur.cg@gov.in
23.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बलरामपुर	9406045241	dtic-balrampur.cg@gov.in
24.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मुंगेली	07755-264176	dtic-mungeli.cg@gov.in
25.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोण्डागांव	07786-242756	dtic-kondagaon.cg@gov.in
26.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बालोद	07749-223948	dtic-balod.cg@gov.in
27.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बेमेतरा	07824-206005	dtic-bemetara.cg@gov.in
28.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बलौदाबाजार–भाटपारा	07727-222131	dtic-balodabazar.cg@gov.in
29.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, गरियाबंद	07706-241268	dtic-gariaband.cg@gov.in
30.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सुकमा	07864-284466	dtic-sukma.cg@gov.in
31.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सूरजपुर	9826765733	dtic-surajpur.cg@gov.in

गृह-सी विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2018

विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2018 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ-09-57/गृह-सी/परीक्षा/2018.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा बुधवार, दिनांक 01 अगस्त, 2018 से 07 अगस्त, 2018 तक रायपुर/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा (अंबिकापुर) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

बुधवार, दिनांक 01-08-2018

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित).	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).	
5.	पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
	बुधवार, दिनांक 01-08-2018	
6.	दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्न पत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	

गुरूवार, दिनांक 02-08-2018

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-''ए'' आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-''बी''.	
11.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-''सी''.	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये.	
	गुरूवार, दिनांक 02-08-2018	
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
62.	लेखा व स्थापना, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित)	

शुक्रवार, दिनांक 03-08-2018

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम, वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यावहारिक शाखा" प्रश्न-पत्र.	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	

शुक्रवार, दिनांक 03-08-2018

(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया- विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्न-पत्र (बिना पुस्तकों के).	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा एवं भाग-2, सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त इंशूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड् एम. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि.सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के).	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र-बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

शनिवार, दिनांक 04-08-2018

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
34.	प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
35.	प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचयत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्न पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये.	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
	शनिवार, दिनांक 04-08-2018	
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, राजस्व तथा भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
	रविवार, दिनांक 05-08-2018 को अवकाश	
	सोमवार, दिनांक 06-08-2018	
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न-पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
49.	प्रश्न पत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

सोमवार, दिनांक 06-08-2018

(1)	(2)	(3)
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के लिये.	
	सोमवार, दिनांक 06-08-2018	
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न-पत्र भाग-2, पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	दोपहर 02.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
52.	प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	
54.	तृतीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जन जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
	मंगलवार, दिनांक 07-08-2018	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह-सी विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/ परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की आवेदन/सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 10-07-2018 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

6. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णत: प्रतिबंधित है. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णत: अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण देव गौतम, सचिव.

LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Naya Raipur the 19th January 2018

No. F 675/217/XXI-B/C.G./18.—On recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh and in compliance of High Court Registry's Memo No. 21/Confdl./2018/I-8-6/2001 (Pt. II) Bilaspur dated 18th January, 2018 and the State Government, hereby, withdrawing the services of the following members of Lower Judicial Service specified in column No. 2 of the Schedule below from the High Court of Chhattisgarh, places their services under the Law & Legislative Affairs Department, Government of Chhattisgarh, and appoints them as mentioned in column (3) of the Schedule, from the date they assumes charge of their office, namely :—

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present place of posting (2)	Recommended for posting as (3)
1.	Shri Santanoo Kumar Deshlahre, II civil Judge Class-I, Raipur.	Secretary, District Legal Services Authority, Raigarh.
2.	Shri Shiv Prakash Tripathi, X Civil Judge Class-II, Raipur.	Secretary, District Legal Services, Authority, Surajpur.
3.	Ku. Bhawana Nayak, XVI Civil Judge Class-II, Raipur.	Secretary, District Legal Services Authority, Koriya (Baikunthpur).
4.	Shri Brijesh Rai Civil Judge Class-II, Kartala	Secretary, District Legal Services, Authority, Bilaspur.
5.	Smt. Manisha Thakur, Civil Judge Class-II, Patthalgaon.	Secretary, District Legal Services, Authority, Balod.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAVISHANKAR SHARMA, Principal Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 3 मार्च 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/2943/भू-अर्जन/2018.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	देवगांव	1.92 हेक्ट.	देवगांव-फुलझर-कोलिहामुड़ा मार्ग पर सलिहानाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 15-03-2018 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन देवगांव में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	देवगांव-फुलझर-कोलिहामुड़ा मार्ग पर सलिहानाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	07 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	07 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 250.27 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से यह मार्ग बारहमासी हो जावेगा, जिससे आसपास के 11 ग्रामों के लगभग 17611 ग्रामवासी लाभान्वित होंगे.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति की कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 21 मार्च 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/4795/भू-अर्जन/2018.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पाली	बतरा	13.65 एकड़	खारून व्यपवर्तन योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 4-4-2018 को समय 12.00 बजे से स्थान प्राथमिक शाला भवन बिजराभौना नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	खारून व्यपवर्तन योजना के डूब क्षेत्र हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	11 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	11 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 3499.65 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से कृषि क्षेत्र में खरीफ सिंचाई सुविधा प्रदान किया जावेगा. परियोजना से कुल 05 ग्राम लाभान्वित होंगे.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	परियोजना से कुल 05 ग्राम में खरीफ सिंचाई सुविधा प्रदाय की जावेगी.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति की कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 27 फरवरी 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/51/भू-अर्जन/2017-18.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	सरायपाली	कनपला प.ह.नं. 26	1.38 हे.	कनपला व्यपवर्तन योजना से दो ग्रामों की 150 हे. खरीफ सिंचाई के लिये शीर्ष कार्य निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम कनपला.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 20-04-2018 को (समय) प्रात: 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन कनपला पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि भू-अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दो ग्रामों के 150 हे. रकबे में खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	09 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 361.30 लाख.
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	दो ग्रामों के 150 हे. रकबे में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुन्द, दिनांक 27 फरवरी 2018

प्रारूप–एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/52/भू–अर्जन/2017–18.—भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	सरायपाली	दाऊगुड़ी प.ह.नं. 38	1.11 हे.	दाऊगुड़ी व्यपवर्तन योजना से दो ग्रामों की 102 हे. खरीफ सिंचाई के लिये नहर निर्माण कार्य हेतु भू–अर्जन प्रकरण ग्राम दाऊगुड़ी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 18–04–2018 को (समय) प्रातः 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन दाऊगुड़ी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि भू–अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — दो ग्रामों के 102 हे. रकबे में खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 15 परिवार
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां.
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां
8. परियोजना की कुल लागत — रु. 229.62 लाख.
9. परियोजना से होने वाला लाभ — दो ग्रामों के 102 हे. रकबे में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये — प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे हैं.
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 20 मार्च 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक क/वाचक-1/2018/327.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	घरघोड़ा	घरघोड़ा	1.426 हे.	लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 06 अप्रैल 2018 को शाम 2.00 बजे से 4.00 बजे स्थान नगर पंचायत कार्यालय, घरघोड़ा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सड़क निर्माण कराया जावेगा.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	10
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	30 वृक्ष
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	70,00,000=00 (घरघोड़ा मार्ग निर्माण)
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	जन सुविधा के लिये आवागमन सुविधा
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	(मूल्य लगभग 50,000-00 रुपये)
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 20 मार्च 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक क/वाचक-1/2018/327.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	घरघोड़ा	झरियापाली	2.098 हे.	लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 05 अप्रैल 2018 को शाम 2.00 बजे से 4.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन, झरियापाली पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सड़क निर्माण कराया जावेगा.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	54
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	50 वृक्ष
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	1,00,00,000=00 (झरियापाली मार्ग निर्माण)
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	जन सुविधा के लिये आवागमन सुविधा
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	(मूल्य लगभग 50,000-00 रुपये)
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 20 मार्च 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक क/वाचक-1/2018/327.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	घरघोड़ा	नवापारा	1.719 हे.	लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 06 अप्रैल 2018 को शाम 2.00 बजे से 4.00 बजे स्थान नगर पंचायत कार्यालय, घरघोड़ा को नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि भू-अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सड़क निर्माण कराया जावेगा.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	33
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	50 वृक्ष
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	1,00,00,000=00 (नवापारा मार्ग निर्माण)
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	जन सुविधा के लिये आवागमन सुविधा
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	(मूल्य लगभग 50,000-00 रुपये)
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 20 मार्च 2018

प्रारूप–एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक क/वाचक–1/2018/327.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	तमनार	बासनपाली	2.672 हे.	लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 02 अप्रैल 2018 को शाम 2.00 बजे से 4.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन, बासनपाली पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि भू-अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सड़क निर्माण कराया जावेगा.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	49
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	50 वृक्ष
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	90,00,000=00 (बासनपाली मार्ग निर्माण)
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	जन सुविधा के लिये आवागमन सुविधा
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	(मूल्य लगभग 50,000–00 रुपये)
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 20 मार्च 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक क/वाचक-1/2018/327.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	तमनार	जरेकेला	1.050 हे.	लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 03 अप्रैल 2018 को शाम 2.00 बजे से 4.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन, जरेकेला पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि भू-अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सड़क निर्माण कराया जावेगा.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	29
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	50 वृक्ष
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	50,00,000=00 (जरेकेला मार्ग निर्माण)
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	जन सुविधा के लिये आवागमन सुविधा
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	(मूल्य लगभग 50,000-00 रुपये)
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 20 मार्च 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक क/वाचक-1/2018/327.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	तमनार	देवगढ़	2.158 हे.	लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 04 अप्रैल 2018 को शाम 2.00 बजे से 4.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन, देवगढ़ पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि भू-अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सड़क निर्माण कराया जावेगा.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	51
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	50 वृक्ष
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	50,00,000=00 (देवगढ़ मार्ग निर्माण)
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	जन सुविधा के लिये आवागमन सुविधा
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	(मूल्य लगभग 50,000-00 रुपये)
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक क/वाचक-1/2018/387.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	घरघोड़ा	बरौद	0.283 हे.	सिंचाई प्रयोजन हेतु भूमि का अधिग्रहण बाबत्.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 11 अप्रैल 2018 को समय 2.00 बजे दोपहर से 4.00 बजे शाम तक ग्राम पंचायत भवन-बरौद पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि भू-अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सिंचाई परियोजना
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	02
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	14,15,603.00 रु.
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	कृषि कार्य हेतु सिंचाई कार्य
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	5,00,000-00
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक क/वाचक-1/2018/387.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	घरघोड़ा	बहिरकेला	0.129 हे.	सिंचाई परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 12 अप्रैल 2018 को समय 2.00 बजे दोपहर से 4.00 बजे शाम तक ग्राम पंचायत भवन-बहिरकेला पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि भू-अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सिंचाई परियोजना
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	02
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	8,58,178-00 रु.
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	कृषि कार्य हेतु सिंचाई कार्य
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	5,00,000-00
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक क/वाचक-1/2018/387.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	घरघोड़ा	बडेगुमड़ा	5.756 हे.	सिंचाई परियोजना हेतु बैहामुड़ा बैराज निर्माण में भूमि का अधिग्रहण बाबत्

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 16 अप्रैल 2018 को समय 2.00 बजे दोपहर से 4.00 बजे शाम तक ग्राम पंचायत भवन-बड़ेगुमडा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सिंचाई परियोजना
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	09
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	23441425=00
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	कृषि कार्य/सिंचाई कार्य
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	5,00,000-00
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक क/वाचक-1/2018/387.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	घरघोड़ा	कुडुमकेला	1.563 हे.	कोसमघाट जलाशय दायीं तट नहर हेतु भूमि का अधिग्रहण बाबत्.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 18 अप्रैल 2018 को समय 2.00 बजे दोपहर से 4.00 बजे शाम तक ग्राम पंचायत भवन-कुडुमकेला पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि भू-अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सिंचाई परियोजना
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	14
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 8879960-00
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	कृषि कार्य हेतु.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	5,00,000-00
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक क/वाचक-1/2018/387.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	घरघोड़ा	कुडुमकेला	2.717 हे.	कोसमघाट जलाशय बायीं तट नहर हेतु भूमि का अधिग्रहण बाबत्.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 18 अप्रैल 2018 को समय 2.00 बजे दोपहर से 4.00 बजे शाम तक ग्राम पंचायत भवन-कुडुमकेला पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि भू-अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — सिंचाई परियोजना
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 32
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां.
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां
8. परियोजना की कुल लागत — रु. 14999115-00
9. परियोजना से होने वाला लाभ — कृषि कार्य हेतु.
10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय. — 5,00,000-00
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक क/वाचक-1/2018/387.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	घरघोड़ा	बुलेकेरा	2.416 हे.	बुलेकेरा एनीकट निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण बाबत्.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 11 अप्रैल 2018 को समय 2.00 बजे दोपहर से 4.00 बजे शाम तक ग्राम पंचायत भवन-बरौद पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि भू-अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सिंचाई परियोजना
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	10
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	7429728-00 रु.
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	कृषि कार्य हेतु सिंचाई कार्य
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	5,00,000-00
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक क/वाचक-1/2018/387.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	घरघोड़ा	पुरी	5.982 हे.	पुरी कोसमघाट जलाशय के डूबान भूमि का अधिग्रहण बाबत्.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 17 अप्रैल 2018 को समय 2.00 बजे दोपहर से 4.00 बजे शाम तक ग्राम पंचायत भवन-पुरी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि भू-अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सिंचाई परियोजना
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	10
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 15534818=00
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	कृषि कार्य हेतु
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	5,00,000-00
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक क/वाचक-1/2018/387.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	घरघोड़ा	बुलेकेरा	0.077 हे.	सिंचाई परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण बाबत्

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 11 अप्रैल 2018 को समय 2.00 बजे दोपहर से 4.00 बजे शाम तक ग्राम पंचायत भवन-बरौद पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि भू-अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सिंचाई परियोजना
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	3,46,476-00 रु.
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	कृषि कार्य हेतु सिंचाई कार्य
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	5,00,000-00
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक क/वाचक-1/2018/387.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	घरघोड़ा	बैहामुड़ा	6.376 हे.	बैहामुड़ा बैराज निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण बाबत्.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 13 अप्रैल 2018 को समय 2.00 बजे दोपहर से 4.00 बजे शाम तक ग्राम पंचायत भवन-बैहामुड़ा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सिंचाई परियोजना
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	06
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 23370788=00
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	कृषि कार्य हेतु सिंचाई कार्य
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	5,00,000-00
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 1 मार्च 2018

क्रमांक/1908/04 अ-82 वर्ष 2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	बालोद	अमलीडीह ग्राम पंचायत खेरथाडीह	1.42	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग बालोद.	जिला बालोद के तरौद से दैहान बायपास मार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद मुख्यालय बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सारांश मित्तर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 24 मार्च 2018

क्रमांक/5134/भू-अर्जन/39 अ 82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कुदुरमाल प.ह.नं. 06	3.87	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कुदुरमाल एनीकट योजना के बांध लाईन एवं डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 मार्च 2018

क्रमांक/5137/भू-अर्जन/05 अ 82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	खरवानी प.ह.नं. 11	0.080	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	रींवापार - खरवानी - सोहागपुर मार्ग पर सोन नदी पर उच्च स्तरीय सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 21 मार्च 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	बरभांठा प.ह.नं.-36	6.401	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग क्रमांक-1 खरसिया जिला-रायगढ़ छ.ग.	साराडीह बैराज निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबीदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

क्रमांक 164/27/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गनियारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.795 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
520/1	0.101
521	0.065
522	0.085
523	0.089
1554	0.016
524	0.024
525/1	0.036
525/2	0.061
834/2	0.069
668	0.028
669	0.069
663/2	0.004
662	0.040
684/1	0.020
685/3	0.036
684/2	0.065
685/2	0.032
683	0.049
686/2	0.004
686/1	0.040
681/1	0.028
681/2	0.028
681/3	0.008
680/1	0.065
680/4	0.028
718	0.057
717/3	0.004
719	0.109
721/5	0.077
721/2	0.069
722/1	0.020
722/3 722/4	0.117
771	0.004
772/1	0.081
772/2	0.069
770/2	0.008
773	0.073
768	0.024
769/2	0.016
769/1	0.016
763	0.053
815/2	0.012
762/2	0.077
826/3	0.129
826/1	0.004
826/2	0.053
825	0.024
833/2	0.069
834/1	0.012
827	0.045
822, 823, 824	0.040
841	0.036
842	0.049
843	0.036
844/1	0.045
845/1, 849/1	0.057
844/2	0.028
845/3, 849/3	0.020
764	0.004
765/1	0.004
845/7, 849/7	0.012
861	0.012
862	0.008

(1)	(2)
864, 865	0.004
867	0.061
866	0.089
1504/2	0.077
1502/2	0.121
57	0.012
54	0.028
55	0.024
58	0.016
53	0.012
51/2	0.053
50/2	0.008
49	0.138
56	0.004
46/1, 47	0.004
52	0.012
45/1	0.057
45/4	0.053
45/2	0.150
45/3	0.057
43	0.008
44/1	0.049
84	0.032
82	0.024
83	0.032
98/1	0.024
98/3	0.024
97	0.073
96, 95/2	0.004
94	0.097
91/1, 91/2	0.036
92	0.040
90/1	0.040
90/2	0.024
105	0.028
177/1	0.016
176/1	0.040
177/2	0.028
120	0.085
176/2	0.057
176/3	0.036
126	0.045
125	0.004
127	0.045
128	0.004
118/2	0.020
118/3	0.093
129/1	0.073
650/2	0.190
1359	0.028
1358, 1360	0.061
1355	0.036
1356/3	0.053
1356/1	0.016
1356/4	0.221
1356/5	0.049
1387/10	0.012
1387/1, 1387/2	0.045
1382/1	0.008
1382/2	0.061
1380/1, 1379/1	0.138
1378/1, 1377/9	0.004
1378/2	0.032
1374, 1377/1	0.045
1375/2	0.040
1375/1	0.032
योग 144	5.795

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के माईनर नहर (मुख्य नहर) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

क्रमांक 165/29/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-तखतपुर

(ग) नगर/ग्राम-चोरभट्ठी कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.361 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
879/1	0.081
879/2	0.024
878/1, 878/2	0.020
880	0.061
788/17	0.061
630	0.020
509	0.036
507	0.020
628	0.053
616	0.040
672/3	0.049
672/4	0.053
788/19	0.061
887	0.073
888	0.028
889/1	0.024
890/2	0.036
891/1, 891/8	0.032
891/7	0.057
632	0.053
891/5	0.093
891/2	0.101
892/1, 902/1	0.036
892/2, 902/2	0.028
901	0.040
897/4	0.040
898	0.053
631	0.040
635, 636	0.008
615	0.045
617	0.068
619/1	0.040
505	0.016
(1)	(2)
506	0.024
472, 473, 474	0.008
508	0.040
673, 674	0.024
1540/1	0.024
1559	0.081
1560	0.077
1558	0.012
1561/1	0.154
1562/1	0.045
1564	0.040
1563/2	0.028
2002/34, 2002/49	0.506
2002/11	0.097
2002/12	0.417
2002/41	0.202
2002/23, 2002/26, 2002/29, 2002/32, 2002/50	0.405
2002/30	0.040
618	0.024
627	0.057
2180/1	0.004
2183/1	0.008
2002/15	0.202
2002/24, 2002/27, 2002/33, 2002/36, 2002/48	0.243
2084	0.020
2085/1	0.008
2086/1	0.024
2086/2	0.004
2092/1	0.097
2091/3	0.004
2091/4	0.073
2090/2	0.069
2090/3	0.073
2074/1	0.008
2073/3	0.012

	(1)	(2)
	2071/2	0.061
	2071/3	0.089
	2071/1	0.121
	2123/1	0.008
	2123/2	0.085
	2182	0.032
	2124/1	0.028
	2125/1	0.093
	2125/3	0.081
	2127/1	0.121
	2181	0.028
योग	96	5.361

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के माईनर नहर (मुख्य नहर) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

क्रमांक 166/28/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.747 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	205/3	0.040
	205/2	0.040
	225/1	0.049
	206/2	0.024
	206/1	0.065
	76/1, 77/3, 77/4	0.032
	77/1	0.008
	211/1	0.073
	211/2	0.049
	211/3	0.142
	70/4	0.040
	69	0.028
	212/1	0.016
	212/2	0.020
	213	0.016
	212/4	0.032
	218/1	0.032
	218/2	0.057
	217/5	0.032
	217/4	0.032
	222/1	0.016
	223/1	0.045
	223/6	0.049
	223/4	0.085
	243/2	0.028
	225/3	0.105
	243/1	0.028
	243/3	0.004
	247/6	0.020
	247/1	0.093
	244	0.024
	245/2	0.045
	245/1	0.077
	239/3	0.065
	207/12	0.049
	239/2	0.085
	76/4	0.045
	214/5	0.057
योग	40	1.747

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

क्रमांक 172/16/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गौबंद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.441 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	38/5	0.012
	231/1	0.012
	42/1	0.012
	40	0.004
	38/1	0.061
	37/1	0.077
	38/4	0.073
	31/4	0.032
	237/3	0.024
	35/3	0.020
	36/1	0.020
	231/4	0.016
	257/1	0.061
	231/6, 231/7	0.049
	231/8, 231/9	0.049
	231/2, 231/3	0.061
	236	0.008
	237/4	0.024
	237/1	0.020
	273/2	0.016
	230/2, 238/2	0.073
	202/8	0.008
	230/1, 238/1	0.089
	239/8	0.057
	239/6	0.028
	228/1	0.049
	228/6	0.020
	202/6	0.085
	228/3	0.032
	228/2	0.049
	202/5	0.089
	202/4	0.089
	243/3	0.061
	243/9	0.061
योग	39	1.441

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के माईनर नहर (घुटकु वितरक) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2018

क्रमांक 04/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-केकती
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.125 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
451/2	0.061

(1)	(2)
433/2	0.061
433/1	0.065
232/2, 236/2	0.069
438	0.016
434	0.065
334/2 ग	0.113
334/2 घ	0.008
334/2 क, 334/4	0.081
334/1	0.069
210	0.061
336	0.053
335	0.057
278, 277	0.040
276/1	0.089
276/2	0.101
275	0.004
103/1	0.024
274	0.065
273	0.008
271	0.101
243	0.065
238	0.061
270	0.020
242	0.061
109/3	0.093
111	0.008
110	0.020
117	0.040
69	0.016
118	0.032
119	0.028
121	0.016
120	0.012
241	0.008
240/2	0.012
239	0.036
237	0.081
147/2	0.028
226	0.105
208, 209	0.028
71, 72	0.032
211	0.008

(1)	(2)
207/2	0.036
105, 106	0.057
227/1, 228/1, 234/1	0.081
227/2, 228/2, 234/2	0.065
227/3, 228/3, 234/3	0.036
1266/1	0.024
227/4, 228/4, 234/4	0.036
146/2	0.016
205	0.032
190	0.016
206	0.093
177/3 ग	0.069
204	0.032
194/2	0.028
194/1	0.190
193	0.121
192	0.121
1252	0.036
172	0.036
188, 187	0.101
191/1	0.049
191/2	0.061
189	0.040
178	0.057
179	0.065
177/2 च	0.069
704/1, 705/1	0.020
1263/2	0.032
706/4	0.142
706/5	0.049
1269	0.069
1268/2	0.109
1270/1	0.004
1263/3	0.036
1264/2	0.069
1265/1	0.061

(1)	(2)
1265/2	0.077
1262/3	0.057
1261/1, 1261/2	0.040
12582	0.081
1498	0.032
1249	0.081
707/1	0.008
231	0.004
1268/1	0.008
1264/1	0.024
42/1, 43/1	0.040
44	0.053
47	0.049
49/2	0.028
51/1	0.012
52/2	0.040
70/2	0.020
57	0.012
58	0.036
101	0.020
62	0.036
63	0.020
95	0.028
96/1	0.008
107	0.004
108/1	0.016
108/2	0.024
104	0.032
102/1	0.028
337	0.008
योग 127	5.125

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के माईनर नहर (खम्हरिया वितरक) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2018

क्रमांक 35/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ढनढन
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.154 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
291	0.012
283/1	0.077
282	0.053
279/2	0.097
278/1	0.036
323/1	0.004
275/2	0.057
274/4	0.077
347/1	0.012
356	0.024
272	0.036
411/1	0.008
357	0.049
355/3	0.049
355/1	0.012
273	0.045
361	0.012
363/1	0.174
411/2	0.008
413/1	0.069
413/2	0.069
419/1, 420/1, 421/1	0.128
417/2, 418	0.166

(1)	(2)
432/1	0.097
432/2	0.020
1174	0.057
431	0.065
430	0.166
429	0.134
1178	0.032
478	0.081
1198	0.081
1179	0.150
1180/1	0.020
1180/3	0.012
1177	0.045
1175	0.121
1173	0.057
1146	0.065
1149	0.045
1150	0.065
1151	0.028
1152	0.028
1153	0.028
1154/1	0.008
722, 723, 725, 731/2	0.194
724/1	0.024
724/2	0.012
424/4	0.024
712/3 क	0.097
712/1	0.032
712/5	0.032
712/7	0.045
699/1	0.012
704/1	0.093
712/2	0.040
243, 244/3	0.134
244/1	0.008
270/1	0.057
270/2, 270/3	0.182
253/1	0.040
263/1	0.061
261	0.004
263/2	0.040
265	0.166
264	0.012
262	0.065
371/1	0.073
371/2	0.040
371/3	0.065
372	0.040
377	0.271
378/1	0.194
379/3	0.101
380/2	0.008
1232	0.105
1237	0.065
1233/1	0.061
1233/3	0.049
1235/1	0.020
1236/1	0.045
1236/2	0.130
1236/3	0.053
244/10	0.121
244/9	0.024
270/4	0.271
270/5	0.036
1248/1	0.081
1248/2	0.053
1244/3	0.028
1245/5	0.045
1245/6	0.049
1245/1	0.073
योग 101	6.154

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2018

क्रमांक 12/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अमसेना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.484 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	136/10	0.032
	136/12 क	0.125
	136/2	0.069
	124	0.032
	143	0.008
	144/1	0.008
	123/5	0.073
	123/4	0.036
	122	0.016
	145/1	0.036
	136/11	0.049
योग	11	0.484

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के माईनर नहर (सकर्रा वितरक) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2018

क्रमांक 37/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-घुरू
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.737 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	225	0.125
	200/2	0.016
	200/3	0.024
	210/3	0.008
	197/3, 198	0.057
	197/2	0.024
	197/1	0.121
	133/1	0.146
	133/2	0.016
	133/3	0.113
	135/1	0.032
	149/1	0.117
	115/4	0.032
	137/3	0.057
	136/1	0.097
	115/3, 157/2	0.077
	115/2, 137/1	0.045
	138/1, 139/1	0.012
	150/2	0.129
	150/1	0.073
	140/2	0.012
	148/1	0.073
	147	0.129
	158/1	0.049
	158/2	0.028
	146	0.097
	159/1 क	0.024
	157	0.004
योग	32	1.737

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के माईनर नहर (चकरभाठा वितरक) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 24 मार्च 2018

क्रमांक/5129/भू-अर्जन/33 अ 82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-चोरभट्ठी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.57 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1197/4	0.07
	1197/1	0.04
	1196	0.05
	1160/2	0.01
	1319/1, 1320	0.09
	1195/1	0.03
	1184/2	0.10
	1159/1	0.14
	1192/2	0.02
	1194/2	0.02
	1192/1	0.02
	1194/1	0.02
	1194/3	0.02
	1194/4	0.02
	1191/3	0.01
	1186	0.04
	1187	0.06
	1189/2	0.06
	1188/5	0.05
	1143	0.05
	1177/1	0.03
	1177/2	0.04
	1153	0.01
	1179, 1180, 1134/1	0.05
	1154	0.17
	1156/2	0.10
	1174	0.02
	1175	0.11
	1176	0.07
	1489/3	0.25
	1507	0.64
	1508	0.15
	1163	0.20
	1568	0.17
	1562	0.11
	1182	0.07
	1183	0.12
	1160/3	0.01
	1505/2	0.08
	1505/1	0.15
	1161/1	0.12
	1555/2	0.03
	1160/1	0.02
	1181/2	0.12
	1181/1	0.07
	1162/2	0.03
	1152	0.18
	1506	0.18
	1558/2	0.15
	1159/2	0.20
योग	42	4.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चोरभट्ठी-मदवानी मार्ग छिंदई नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 मार्च 2018

क्रमांक/5131/भू-अर्जन/34 अ 82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-करतला

(ग) नगर/ग्राम-मदवानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.56 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
451	0.05
452	0.30
441/4, 442/2	0.26
441/2	0.17
453	0.24
441/3, 446/3, 450/2	0.14
442/1	0.20
443	0.20
444	
447	
448	
449	
योग 07	1.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चोरभट्ठी-मदवानी मार्ग छिंदई नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मई 2018

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्रमांक/232/01/18-19/स्था.—Certificate that we have in the Afternoon of this day (on 03-05-2018) respectively made over and received charge of the office of Secretary, C.G. Public Service Commission, Raipur in Pursuance of C.G. Govt. GAD Order No. E-1-01-2018/1-2 New Raipur, dated 01-05-2018 of this office that the officer receiving charge travelled during joining time on .... (mention dates).

हस्ता./-
अवर सचिव.

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति कांकेर, जिला-उ.ब. कांकेर (छ.ग.)

कांकेर, दिनांक 28 मार्च 2018

क्रमांक/मंडी/भार. अधि./2017-18/740.—प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड रायपुर के आदेश क्र./बी-8/32 (2)/भार.अधि./2017-18/8955 रायपुर, दिनांक 20-02-2018 के परिपालन में मैं आनंद सिंह नेताम सहायक संचालक कृषि कांकेर, जिला उ.ब. कांकेर आज दिनांक 28-03-18 को पूर्वान्ह/अपरान्ह में कृषि उपज मण्डी समिति कांकेर जिला उ.ब. कांकेर का भारसाधक अधिकारी का कार्यभार ग्रहण कर लिया हूं.

अत: समस्त शासकीय/अर्धशासकीय पत्र व्यवहार अधोहस्ताक्षरी के नाम एवं पद से करने का कष्ट करेंगे.

आनंद सिंह नेताम,
भारसाधक अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 15 मार्च 2018

क्रमांक 2431/न्ये.लि. 1/2018.—जिले में गर्मी एवं वर्षा के मौसम प्रारंभ होते ही जल-जनित संक्रामक रोग जैसे-उल्टी-दस्त, अन्त्रशोथ, पीलिया आदि के फैलने का खतरा प्रारंभ हो जाता है. गर्मी एवं वर्षा ऋतु में इन बीमारियों के महामारी का रूप धारण करने की संभावना रहती है, और इन पर प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण के उपाय हर स्तर पर किया जाना आवश्यक है. अत: छत्तीसगढ़ आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध अधिनियम 1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए मैं भीम सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उक्त विनियम के नियम-3 के अधीन सम्पूर्ण राजनांदगांव जिला को 6 माह (छ: माह) की अवधि के लिये अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं.

(2) जिले के विभिन्न शहरों, हाट-बाजारों तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालय के बाजारों, बस स्टैडों के होटलों, दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों एवं अन्य साधनों से सड़े-गले फल, मानव खाद्य के लिये रोगग्रस्त या अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर साग सब्जियां, मिष्ठान, मांस मछलियों, अनाज, रोटी मानवीय उपयोग के लिये पेय पदार्थ जैसे बर्फ, आईसक्रीम, शीतल पेय, गंदा गन्नारस आदि बेचे जाने से हैजा, आंत्रशोध, पेचिस एवं संक्रामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है. इस प्रकार की हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिये छ.ग. आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध विनियम 1983 के नियम (2) (ज) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों अर्थात मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय राजनांदगांव, खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं जिले के समस्त नगर निगम क्षेत्र/नगर पालिका/नगर पंचायत, अधिकारियों को निरीक्षण एवं सघन अभियान व प्रचार-प्रसार चलाने के लिये निर्देश दिये जाते हैं.

(3) जिले के महत्वपूर्ण रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं सार्वजनिक स्थानों के यात्रियों को हैजा का टीका लगाने की समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी.

(4) यह आदेश पूर्व सावधानी उपाय के रूप में प्रसारित किया जा रहा है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

भीम सिंह,
कलेक्टर.

संचालनालय कृषि छ.ग. रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2017

क्रमांक गन्ना/क्षेत्र आरक्षण/2017-18/165.—मैं ए. के. श्रीवास्तव, गन्ना आयुक्त छ.ग. रायपुर, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित राम्हेपुर, कवर्धा जिला कबीरधाम के लिये छ.ग. गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न क्रय केन्द्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का गन्ना, गन्ना पेराई वर्ष 2017-18 के लिये आरक्षित घोषित करता हूं. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा. आरक्षित किये गये ग्रामों में उत्पादित गन्ना शक्कर कारखाना द्वारा क्रय किया जावेगा :—

क्र.	क्रय केन्द्र का नाम	विकासखण्ड	ग्रामों की संख्या	गन्ना क्षेत्र (एकड़)
1.	शक्कर कारखाना द्वार	कवर्धा	160	16,620.63
		बोड़ला	98	14,017.25
		सहसपुर लोहारा	23	284.05
		योग	**281**	**30,921.93**

ए. के. श्रीवास्तव,
गन्ना आयुक्त.

पेराई सत्र 2017-18 हेतु भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा के कार्यक्षेत्र में उपलब्ध गन्ना क्षेत्र का विवरण

विकासखण्ड — कवर्धा

क्र.	ग्राम	कृषक संख्या	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बिजाझोरी	39	94.79
2.	बरबसपुर	147	346.84
3.	सिंघनपुरी	62	103.61
4.	गांगचुवा	18	42.14
5.	जोराताल	35	77.57
6.	घुक्सा	77	194.10
7.	पालीगुढ़ा	46	87.72
8.	परसवारा	47	138.67
9.	दुल्लापुर रानी	45	72.32
10.	मगरदा	24	52.73
11.	भीमपुरी	25	24.65
12.	सोनपुरी रानी	110	153.38
13.	थुहाडीह	54	116.21
14.	खैरझिटीखुर्द	37	51.36
15.	खुंटू	03	4.84
16.	खैरझिटीकला	30	45.64
17.	मरका	43	133.21
18.	देवरी	01	3.05
19.	डौकाबांधा	33	55.70
20.	गेगड़ा	08	17.90
21.	जैतपुरी	22	60.01
22.	धौराबंद	15	26.68
23.	मथानीकला	15	21.18
24.	मथानीखुर्द	07	13.30
25.	अमलीडीह	13	23.23
26.	ठुनुपार	09	13.36
27.	बिपतरा	14	51.87
28.	कुंआ	17	36.25
29.	बानो	14	44.71
30.	कोयलारी	02	3.75
31.	धनौरा	14	16.91
32.	कोठार	57	146.03
33.	चरडोंगरी	94	188.39
34.	खाम्ही	47	125.06
35.	गांगपुर	81	154.59
36.	छांटा	65	178.86
37.	दरगंवा	33	74.54
38.	गोरखपुर	19	55.69
39.	पिपरिया	10	24.52
40.	मोहगांव	90	185.49

(1)	(2)	(3)	(4)
41.	घुघरीकला	36	66.53
42.	घुघरीखुर्द	02	3.20
43.	झिरना	06	23.49
44.	सिंघनपुरी (राम्हेपुर)	84	279.40
45.	राम्हेपुरखुर्द	152	438.03
46.	रबेली	171	344.64
47.	सूरजपुरा	101	253.35
48.	जेवड़नखुर्द	94	330.21
49.	सोनबरसा	57	151.24
50.	चारभाठा	45	148.81
51.	दुल्लापुर	20	68.37
52.	बांझीमौहा	30	102.57
53.	बटुराकछार	115	301.43
54.	डबराभाठ	78	179.26
55.	मदनपुर	64	157.25
56.	सारंगपुरखुर्द	49	145.31
57.	जमुनिया	54	134.65
58.	बिजई	56	127.43
59.	मरपा	04	30.59
60.	नवागांव फरीद	07	19.63
61.	बारदी	99	205.56
62.	बरदुली	97	191.12
63.	बैजलपुर	68	133.47
64.	भेलवाभांवर	33	73.01
65.	गदहाभाठा	80	186.96
66.	सिंघनपुरी (सेमो)	31	82.88
67.	सेमो	43	84.91
68.	मक्के	33	78.39
69.	मानपुर	10	24.50
70.	आंछी	65	134.17
71.	पथर्रा	31	79.40
72.	बानो	26	49.35
73.	जोगीपुर	10	52.84
74.	खैरवार	12	55.45
75.	दलपुरूवा	51	105.31
76.	कोको	50	129.76
77.	कृतबांधा	01	9.00
78.	लोचन	02	7.50
79.	भानपुर	06	13.29
80.	पण्डरिया (लघान)	43	77.77
81.	लघान	26	44.82
82.	घोरेवारा	30	70.47
83.	घिरघोसा	49	91.54
84.	झलमला	54	142.96
85.	गोपालभावना	44	88.80
86.	डेहरी	73	154.76
87.	नवागांव कोलिहा	20	57.36

(1)	(2)	(3)	(4)
88.	नवघटा	113	212.48
89.	नेवारी	48	177.53
90.	रेगांखारखुर्द	15	18.64
91.	बरपेलाटोला	14	43.62
92.	घोठिया	09	13.34
93.	झल्का	07	16.79
94.	छिरहा	28	72.21
95.	समनापुर	05	15.03
96.	अमलीडीह	10	13.67
97.	लालपुर	07	6.42
98.	तालपुर	05	20.54
99.	पेन्ड्रा	02	2.13
100.	कवर्धा	04	10.00
101.	बिशनपुरा (बिरनपुर)	01	2.00
102.	बरभांवर	01	2.00
103.	जुनवानी	14	58.49
104.	नवागांव तिवारी	20	44.64
105.	लिमो	29	72.57
106.	भेदली	62	106.90
107.	मुड़घुसरी	03	7.06
108.	मैनपुरी	09	11.56
109.	छांटा झा	07	34.45
110.	रघुनाथपुर	03	6.53
111.	धमकी	63	91.79
112.	बम्हनी नवापारा	09	4.05
113.	बम्हनी	05	11.07
114.	बंदौरा	21	40.39
115.	ठकुराईटोला	21	39.31
116.	कुटकीपारा	56	95.31
117.	मड़मड़ा	02	5.75
118.	सोहागपुर	03	4.61
119.	महाराजपुर	03	10.65
120.	जिताटोला	01	5.00
121.	लासाटोला	01	10.00
122.	दशरंगपुरखुर्द	64	170.80
123.	बोधाईकुण्डा	142	295.60
124.	खैरीपार	58	176.17
125.	नाऊडीह	95	327.00
126.	दौजरी	191	470.00
127.	जरती	171	511.00
128.	सिंघनपुरी (जरती)	24	92.00
129.	लखनपुरकला	289	761.19
130.	लालपुरकला	132	294.50
131.	कान्हाभैरा	125	300.38
132.	नेवारीगुढ़ा	66	235.66
133.	दुल्लापुर	29	84.96
134.	बिरकोना	79	177.80

(1)	(2)	(3)	(4)
135.	धरमपुरा	63	136.60
136.	इंदौरी	70	163.47
137.	मिरमिट्टी	09	17.59
138.	जिन्दा	26	37.58
139.	दुबहा	30	82.20
140.	मानिकचौरी	21	47.55
141.	कोसमन्दा	39	88.06
142.	झिरौनी	41	112.77
143.	खड़ौदाखुर्द	168	399.00
144.	चोरभट्ठी	38	37.71
145.	दशरंगपुरकला	09	7.21
146.	हीरापुर	14	24.06
147.	खपरी	24	48.38
148.	चचेड़ी	21	25.47
149.	फांदातोड़	13	18.79
150.	केसली	10	17.22
151.	बिटकुलीकला	08	15.62
152.	बिटकुलीखुर्द	01	2.60
153.	बिरनपुर	02	6.10
154.	लिटीपुर	02	2.49
155.	बहरमुड़ा	03	2.82
156.	गुढ़ा	01	0.99
157.	खण्डसरा	01	1.00
158.	सिंघनपुरी (दशरंगपुर)	01	2.02
159.	सुखाताल	401	1061.72
160.	कोदवा	51	86.43
	योग	**6967**	**16620.63**

विकासखण्ड — बोड़ला

1.	खड़ौदाकला	181	361.26
2.	सारंगपुरकला	283	630.32
3.	कारेसरा	109	326.14
4.	लोहझरी	114	210.61
5.	खन्तीपारा	27	46.47
6.	लखनपुरखुर्द	45	152.39
7.	मुड़ियापारा	06	19.49
8.	मारियाटोला	157	449.10
9.	लेंजाखार	159	421.14
10.	नेऊरगांवखुर्द	202	434.52
11.	प्रभाटोला	68	180.55
12.	रहंगी	55	332.34
13.	बुधवारा	20	77.30
14.	बघर्रा	142	321.83
15.	उसलापुर	134	388.28
16.	पोड़ी	90	172.56

(1)	(2)	(3)	(4)
17.	पोड़ीटोला	12	36.69
18.	तरेगांवमैदान	106	210.00
19.	मण्डलाटोला	117	215.00
20.	कुर्सीपार	63	126.00
21.	लालपुर (बोड़ला)	23	52.00
22.	बोड़ला	45	88.00
23.	अमलीटोला	17	29.00
24.	सुकवापारा	31	98.00
25.	बोल्दाखुर्द	26	33.00
26.	बोल्दाकला	24	72.00
27.	भोंदा	08	31.00
28.	खरिया	11	28.00
29.	खड़ौदाखुर्द	30	44.00
30.	सिंघारी	22	43.00
31.	बैजलपुर	08	22.00
32.	बोरिया	18	37.00
33.	कामाडबरी	23	45.00
34.	कांपा	13	23.00
35.	कांदापारा	08	12.00
36.	अमेरा	21	33.00
37.	तरसिंग	05	10.00
38.	राली	06	5.00
39.	छुही	04	3.00
40.	तरेगांव जंगल	02	3.00
41.	मगरवाड़ा	01	1.00
42.	बांटीपथर्रा	01	1.00
43.	दुल्लापुर	05	15.00
44.	पचराही	07	14.00
45.	सोनतरा	01	1.00
46.	मुड़घुसरी	07	16.00
47.	मांदीभांटा	04	9.00
48.	अंधरीकछार	03	6.00
49.	घिरसाटोला	04	6.00
50.	भीरा	03	7.00
51.	भण्डार	04	7.00
52.	जैताटोला	20	38.00
53.	सिल्हाटी	190	386.95
54.	मानिकपुर	211	472.94
55.	नेऊरगांवकला	98	205.02
56.	रिवापार	43	95.62
57.	बैहरसरी	375	856.63
58.	कुसुमघटा	362	1168.14
59.	खुरमुण्डा	30	71.50
60.	बोईरकछरा	66	275.23
61.	कबराटोला	134	325.37
62.	भलपहरी	71	170.84
63.	अचानकपुर	50	139.88

(1)	(2)	(3)	(4)
64.	मड़मड़ा	144	286.13
65.	सिरमी	44	75.36
66.	छांटा	78	156.40
67.	महली	52	137.07
68.	खण्डसरा	164	418.74
69.	राम्हेपुरकला	132	246.35
70.	हरिनछपरा	165	371.93
71.	चण्डालपुर	38	86.34
72.	परसहा	34	124.04
73.	खरहट्टा	115	282.24
74.	भरेली	194	379.75
75.	गण्डईकला	151	329.00
76.	गण्डईखुर्द	156	326.25
77.	बद्दो	34	91.62
78.	बिसनपुरा	29	41.07
79.	मोतिमपुर	25	42.77
80.	मिनमिनिया	100	158.98
81.	रघुपारा	34	73.78
82.	राजानवागांव	21	46.68
83.	खिरसाली	07	8.93
84.	लाटा	02	4.34
85.	बरहट्टी	08	10.51
86.	अमरौड़ी	03	18.00
87.	चिखली	04	5.59
88.	हरमो	02	6.65
89.	कटगो	01	1.43
90.	सेवईकछार	01	1.50
91.	चाहटा	07	20.36
92.	घोंघा	05	18.18
93.	तिलईभाट	36	78.60
94.	भालूचुवा	09	34.59
95.	खैरबना	08	17.13
96.	चिमरा	04	3.25
97.	बाघूटोला	01	1.03
98.	बेंदरची	01	0.55
	योग	**5934**	**14017.25**

विकासखण्ड — स. लोहारा

1.	गेंदपुर	01	2.02
2.	बंधी	05	8.29
3.	रणवीरपुर	07	95.56
4.	कोसमंदा	01	2.00
5.	रणजीतपुर	03	11.31
6.	विरेन्द्रनगर	02	11.42
7.	खैरझिटीखुर्द	07	19.54

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	सेमरिया	07	10.82
9.	मोहतरा	05	3.64
10.	उलट	03	4.50
11.	सलिहा	03	4.00
12.	बुधवारा	03	6.00
13.	कारेसरा	01	12.00
14.	अचानकपुर	03	4.00
15.	नवागांव (गु.)	02	5.00
16.	लोहारा	01	4.65
17.	चंदैनी	04	17.00
18.	चिलमखोदरा	09	27.37
19.	पावले	01	3.50
20.	बचेड़ी	03	21.43
21.	तुमड़ीलेवा	01	3.00
22.	दरगंवा	01	4.00
23.	नवागांव	01	3.00
	योग	**74**	**284.05**

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बैकुण्ठपुर, कोरिया (छ.ग.)

कोरिया, दिनांक 31 जनवरी 2018

क्रमांक/92/वि.यो./नग्रानि/2018.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में झगराखण्ड, नई लेदरी, खोगापानी निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक .... बैकुण्ठपुर, दिनांक .... द्वारा किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कोरिया द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट झगराखण्ड, नई लेदरी, खोगापानी निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एंव इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

झगराखण्ड, नई लेदरी, खोंगापानी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम खोंगापानी, झगराखण्ड, नारायणपुर/तेन्दूडांड, परसागढ़ी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम परसागढ़ी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम परसागढ़ी, नारायणपुर/तेन्दूडांड, गिद्धडांड, झगराखण्ड, नई लेदरी एवं पुरानी लेदरी ग्रामों की दक्षिण सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम झगराखण्ड ग्रामों की पश्चिम सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कलेक्ट्रेट परिसर, रूम नं. 108, 109, 110, 101, बैकुण्ठपुर जिला–कोरिया छ.ग.

No. 92/वि.यो./नग्रानि/2018.—The existing land use map and register for the Jhagrakhand, Nayi Ledri, Khongapani Planning Area Existing land use map and Register was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 137 Baikunthpur date 24 January 2017.

Therefore, a notice is hereby given for general information of the public that the existing land use map and register of Jhagrakhand, Nayi Ledri, Khongapani Planning Area, Existing Land use map and Register so prepared and published are duly adopted by the Assistant Director Town & Country Planning, Korea, under the Provision of sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazett. Under the provision of sub-section (4) of Section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted on date.

SCHEDULE

Limits of Jhagrakhand, Nayi Ledri, Khongapani Planning Area

NORTH : Village Khongapani, Jhagrakhand, Narayanpur/Tendudand and Parsagarhi Northern Limits of Villages.
EAST : Village Parsagarhi Eastern Limits of Villages.
SOUTH : Village Parsagarhi, Narayanpur/Tendudand, Giddhadand, Jhagrakhand, Nayi Ledri Southern Limits of Village.
WEST : Village Jhagrakhand Western Limits of Village.

The said adopted map and Register shall be available for inspection of general public at following place during office hours, for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection site : Office of the Assistant Director, Town & Country Planning, Collectorate Parisar, Room No. 108, 109, 110, 101 Baikunthpur, Dist.-Korea (C.G.).

कोरिया, दिनांक 31 जनवरी 2018

क्रमांक/96/वि.यो./नग्रानि/2018.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में चिरमिरी निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 115 बैकुण्ठपुर, दिनांक 24 जनवरी 2017 द्वारा किया गया था.

अतः एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कोरिया द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट चिरमिरी निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तदनुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

चिरमिरी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम लाई एवं हर्रा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम हर्रा, दर्रीटोला, लोहारी, नवापारा, मोरगा, सरभोका, पश्चिमी चिरमिरी कालरी, कोरिया कालरी, उत्तर चिरमिरी कालरी एवं डोमन हिल कालरी, ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम डोमन हिल कालरी, दुबछोला एवं भण्डारदेई ग्रामों की दक्षिण सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम भण्डारदेई, भुकभुकी, चिरमिरी कालरी, खुरासिया कालरी, एन.सी.पी.एच. कालरी, सरभोका, सीरियाखोह एवं लाई ग्रामों की पश्चिम सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कलेक्ट्रेट परिसर, रूम नं. 108, 109, 110, 101, बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया छ.ग.

No. 96/वि.यो./नग्रानि/2018.—The existing land use map and register for the Chirmiri Planning Area Existing land use map and Register was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 115 Baikunthpur date 24 January 2017.

Therefore, a notice is hereby given for general information of the public that the existing land use map and register of Chirmiri Planning Area, Existing Land use map and Register so prepared and published are duly adopted by the Assistant Director Town & Country Planning, Korea, under the Provision of sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazett. Under the provision of sub-section (4) of Section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted on date.

SCHEDULE

Limits of Chirmiri Planning Area

NORTH	:	Village Lai Harra Northern limits of Villages.
EAST	:	Village Harra, Darritola, Lohari, Nawapara, Morga, Sarbhoka, West Chirmiri Collery, Korea Collery, Northern Chirmiri Collery and Doman Hill Collery Eastern Limits of Villages.
SOUTH	:	Village Doman Hill Collery, Dubchhola and Bhandardei Southern Limit of Villages.
WEST	:	Village Bhandardei, Bhukbhuki, Chirmiri Collery, Khurasiya Collery, NCPH Collery, Sarbhoka, Siriyakhoh, Lai, Western Limits of Villages.

The said adopted map and Register shall be available for inspections of general public at following place during office hours, for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection site : Office of the Assistant Director, Town & Country Planning, Collectorate Parisar, Room No. 108, 109, 110, 101 Baikunthpur, Dist.-Korea (C.G.).

के. एस. कंवर,
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 22 फरवरी 2018

क्रमांक 1713/चेकर/तीन-10-11/2000.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक/न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, भानुप्रतापपुर अपने घोषित कार्य स्थल भानुप्रतापपुर के अतिरिक्त कांकेर जिला मुख्यालय में भी प्रत्येक माह में दो सप्ताह (द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह) बैठक करेंगे.

No. 1713/Checker/III-10-11/2000.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby directs that the Civil Judge Class-I/JMFC, Bhanupratappur in addition to his place of sitting at Bhanupratappur declared shall also sit at Kanker District Headquarters for 2 weeks (2nd & 3rd Week) every month.

By order of the High Court,
GAUTAM CHOURADIYA, Registrar General.

Bilaspur, the 27th February 2018

No. 159/Confdl./2018/II-3-1/2018.—In Registry Order No. 157/Confdl./2018/II-3-1/2018 dated 26-02-2018, the name of the candidate in Column No. 2 of Sl. No. 2 of the table and in Endt. No. 158/Confdl./2018/II-3-1/2018 at Sl. No. 17 (ii) be read as "Ku. Ankita Kashyap" in place of "Ku. Anita Kashyap".

By order of the High Court,
DEEPAK KUMAR TIWARI, I/C Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2018

क्रमांक 24/दो-2-11/2008.—श्री आनन्द कुमार ध्रुव, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर-चांपा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 19-12-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2018

क्रमांक 25/दो-2-29/2016.—श्री अजय सिंह राजपूत, अतिरिक्त निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 22-12-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, बजट अधिकारी.